



2026: AHC: 29253

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5135 वर्ष 2026

शीला देवीयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: परशुराम बरनवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या-2/तहसीलदार, तहसील देवरिया, जिला देवरिया को वाद संख्या-20816 वर्ष 2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202405200120816) (शीला देवी बनाम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राजमती देवी) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार सख्ती से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:

"(7). तहसीलदार अविवादित नामांतरण के मामले को बाद पजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और विवादित नामांतरण के मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के सम्मुख और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या-2/तहसीलदार, तहसील देवरिया, जिला देवरिया को उक्त आवेदन पर विचार करने और कानून के अनुसार सख्ती से, इसके गुण-दोष के आधार पर, अति शीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है, परंतु अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

फरवरी 10, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"